

विचार बिन्दु

काम से शोक उत्पन्न होता है। -धम्पद

क्या जातिगत आरक्षण वोट पाने की कुनीति है?

रा

एक मैथिली शरण गुप्त की एक कविता में भारतीय संस्कृति की महानता का जो परिचय कराया गया वह अभूतपूर्व है। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के हेतु जो प्रावधान प्रियमल चेपर तीन व चेपर चार में किये हैं, वे देश की उच्च प्रम्परा और संस्कृति के अनुरूप हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में समता व समानता तथा अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विवेद का अधिष्ठित किया है, वह संविधान की विशेषता को इग्निट करता है और हमारी सदियों की उच्च संस्कृति को प्राप्तिकरता है। समता, समानता, समसरता और बहुस्वत्व की भावना व्यक्ति की गतिविधि को निखारती है। समता, समानता, समसरता और प्रेरणा का एक पेरा इस प्रकार है:-

भारत माता का मरिंदर पर, समता का संबंध वहाँ

सबका, शिव कल्याण वहाँ है, पांवे सभी प्रसाद वहाँ।

जाति, धर्म वा सम्पदवाद का नहीं है भेदभाव वहाँ,

सबका स्वाधार, सबका आदर, सबका सम समान वहाँ।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिये आरक्षण के प्रावधान हैं संविधान के अनुच्छेद 16 में संविधान 103वें संसेधन अधिनियम, 2019 में अधिक रूप से दुर्बल बागों के लिये 10 प्रतिशत तक आरक्षण की बात आहे। इससे पैदा हुए जैसा ऊर लिया है आरक्षण का प्रारम्भ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों की बात आहे।

केंद्र व राज्य सकारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये सीटें आरक्षित करती हैं यह आरक्षण जाति के आधार पर है, जो जन्म से तय होती है।

देश में आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:-

अनुसूचित जाति (SC) 15% आरक्षण

अनुसूचित जन-जाति (ST) 7.5% आरक्षण

अन्य पिछड़ी वर्ग (OBC) 27% आरक्षण

कुल आरक्षण 49.5% आरक्षण (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय सीमा 50%)

संविधान 103वें संसेधन के बाद

सामाजिक वर्ग के सभी धर्मों के लोगों की आरक्षण स्थिति के अनुसार

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

कुल आरक्षण 4.9% आरक्षण

संविधान 103वें संसेधन के बाद 10% आरक्षण

